टीपः— <u>साक्षी को आज दिनांक 08.01.2025 को पुनः शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया।</u>

<u>मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 04.35 पी.एम. बजे।</u>

<u>अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक सिवाना</u>

11. मेरे द्वारा पुलिस वालों को प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आदेश पत्र दिनांक 20.07.2015 कुल 15 पृष्ठों में है, उपसंभागीय डाकघर उपसंभाग बालोद का जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2021 को 07 पृष्ठ में, उपसंभागीय निरीक्षक डाकघर उपसंभाग बालोद का जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2022 को 05 पृष्ठ में, निलंबन एवं सेवा से पृथक ओदश दिनांक 14.10.2021 एवं 08.11.2021 02 पृष्ठ, कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग सिविल सेक्टर भिलाई का विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 27.05.2019 कुल 19 पृष्ठ और नियुक्ति आदेश दिनांक 24. 07.2018, 01 पृष्ठ में, की छायाप्रति पुलिस वालों को पेश किया था जिसे पुलिस वालों के द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था जो **प्रदर्शपी 244** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

12. दिनांक 11.10.2021 को आरोपी के पुटऑफ के संबंध में प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग को प्रतिवेदन उपसंभागीय निरीक्षक डाक उपसंभाग बालोद के द्वारा दिया गया था जिसमें आरोपी का बयान दिनांक 08.10.2021 की छायाप्रति, बालाराम नेताम खाताधारक का बयान दिनांक 08.10.2021 की छायाप्रति, पंचनामा दिनांक 06.10.2021 संलग्न हैं जिसकी सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न हैं। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किये थे।

<u>प्रति–परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्रीमती बृजमा जायसवाल लीगल एड डिफेंस काउसिंल वास्ते आरोपी</u>

13. मैं वर्तमान में रायपुर डाक संभाग में प्रवर अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूॅ। घटना के समय मैं प्रवर अधीक्षक दुर्ग संभाग भिलाई में पदस्थ था। दुर्ग डाक संभाग के अंतर्गत मुख्यतः दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़ जिले के डाकघर सम्मिलित हैं। बालोद जिले में उपडाकघर बालोद हैं। मुझे यह याद नहीं हैं कि बालोद उप डाकघर के अंर्तगत कितने शाखा डाकघर है, संभवतः 20 से अधिक है। यह कहना सही है कि उपडाकघर बालोद से वर्ष में एक बार शाखा डाकघर में निरीक्षण के लिये उपसंभागीय प्रमुख डाक निरीक्षक जाते हैं। यह कहना सही है कि प्रवर अधीक्षक भी वर्ष में एक बार उप डाकघर या शाखा डाकघर में निरीक्षण के लिये जाते हैं। स्वतः कहा कि उनको आबंटित डाकघर में निरीक्षण के लिये जाते हैं।

14. मैं आज यह नहीं बता सकता कि जब मैं दुर्ग संभाग डाकघर में प्रवर अधीक्षक था उस समय मुझे उपडाकघर बालोद तथा उसके अंर्तगत शाखा डाकघरों का निरीक्षण करने हेतु आबंटित किया गया था या नहीं। स्वतः कहा कि कौन कौन से डाकघर को निरीक्षण किया जाना था यह मैं निरीक्षण प्रोगाम देखकर ही बता सकता हूॅ।

15. यह कहना सही है कि उपसंभागीय डाक निरीक्षक द्वारा शाखा डाकघर के निरीक्षण के दौरान शाखा डाकघर में उपलब्ध पंजी व रिकार्ड एवं दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाता है। यह कहना सही है कि निरीक्षण के दौरान खाताधारकों

का पासबुक मंगाकर भी निरीक्षण किया जाता है। स्वतः कहा कि चुनिंदा खाताधारकों की पासबुक जांच की जाती है। यह कहना गलत है कि उपसंभागीय डाक निरीक्षक निरीक्षण के दौरान अपनी टीम के द्वारा निरीक्षण करते हैं। साक्षी स्वतः कहा कि यदि वे चाहें तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी मेल ओवरसीयर की सहायता ले सकते हैं। यह कहना गलत है कि डाकघर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शाखा डाकघर का ऑडिट किया जाता है। साक्षी स्वतः कहा कि वार्षिक निरीक्षण मात्र होता हैं।

16. मुझे इस बात की जानकारी नहीं हैं कि प्रत्येक विभाग में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के माह पंजी का ऑडिट किया जाता है। यह कहना सही है कि उपडाकघ ार बालोद के अंर्तगत के शाखा डाकघर में प्रत्येक दिन के लेनदेन तथा कामकाज की रिपोर्ट उपडाकघर बालोद को दिया जाता है। यह कहना सही है कि प्रत्येक शाखा डाकघर में घटना के समय आरआईसीटी डिवाईस दिया गया है। साक्षी स्वतः कहा कि कुछ शाखा डाकघरों को छोड़कर अधिकांश शाखा डाकघरों में आरआईसीटी डिवाइस दिया गया है। यह कहना सही है कि घटना के समय शाखा डाकघर भैंसबोड़ में आरआईसीटी डिवाइस दिया गया था। यह कहना सही है कि आरआईसीटी डिवाईस में ट्रॉजेक्शन ऑनलाईन होता है।

17. यह कहना सही है कि खाताधारक द्वारा पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने पर जमा पर्ची एवं निकालने पर निकासी पर्ची भरी जाती है। यह कहना सही है कि जमा पर्ची का जमा पर्ची का आधा भाग खाताधारक को सील साइन लगाकर वापस दे दिया जाता है तथा आधा भाग डाकघर में रखा जाता हैं। यह कहना सही है कि शाखा डाकघर से प्रत्येक कार्य अवधि के दूसरे दिन डाकघर में जमा पर्ची लेखा कार्यालय बालोद में भेज दिया जाता हैं। यह कहना सही है कि लेखा कार्यालय बालोद में समस्त शाखा डाकघर से प्राप्त एवं निकासी पर्ची एकत्रित कर प्रधान डाकघर दुर्ग को भेज दिया जाता है। साक्षी स्वतः कहा कि वहां निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाता हैं।

18. यह कहना सही है कि डाकघर के समस्त खाताधारकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से लिंक किये जाने का प्रावधान है। साक्षी स्वतः कहा कि

खाताधार का मोबाईल नंबर उनके खाता संख्या के साथ लिंक किये जाने का प्रावधान है लेकिन अनेक पुराने खाते जो कोर बेकिंग सिस्टम में माइग्रेट किये गये हैं उसमें सभी खातों में मोबाईल नंबर लिंक हो ऐसा आवश्यक नहीं हैं। यह कहना सही है कि खाताधारकों को एटीएम प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। साक्षी स्वतः कहा कि जो एटीएम के लिये आवेदन करता है उसे दिया जाता है। यह कहना सही है कि जिन खाताधारकों का मोबाईल नंबर लिंक किया गया है उनके खाता में ट्रॅजेक्शन होने पर उनके मोबाईल में मेसेज आ जाता है।

19. यह कहना सही है कि खाताधारक के खाता में ब्याज की राशि बढ़ने पर तथा राशि निकाले जाने का भी मोबाईल में मेसेज खाताधारक के पास आ जाता है। यह कहना सही है कि बालोद जिला में उपडाकघर बालोद का कार्यालय एवं उपसंभागीय डाक निरीक्षक का कार्यालय अलग–अलग जगहों में घटना के समय स्थित था। यह कहना सही है कि कोई भी खाताधारक रकम लेनदेन व रकम जमा शाखा डाकघर में या उपडाकघर बालोद में कर सकते हैं। यह कहना सही है कि उपसंभागीय डाक निरीक्षक के कार्यालयों में खाताधारक के रकम के संबंध में लेनदेन की कार्यवाही नहीं किया जाता है। यह कहना सही है कि पुलिस थाना बालोद द्वारा मुझे घटना के संबंध में दस्तावेज जप्त किये जाने के संबंध में कोई लिखित नोटिस नहीं भेजे थे।

20. यह कहना सही है कि पुलिस थाना बालोद द्वारा प्रकरण में कथन लिये जाने के संबंध में मुझे कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था। प्रदर्शपी 244 की कार्यवाही पुलिस वाले ने मेरे कार्यालय सिविक सेन्टर भिलाई में आकर किये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 239 ज्ञापन वर्ष 2021 दिनांक 08.10.2021 में आरोपी योगेश कुमार कोर्राम शाखा डाकघर भैंसबोड़ लेखा कार्यालय बालोद को शाखा डाकघर में राशि गबन किये जाने के संबंध में पुट ऑफ ड्यूटी किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं हैं। साक्षी स्वतः कहा कि यह निर्धारित प्रोफार्मा में जारी है जिसमें कारण का उल्लेख करने का प्रावधान नहीं हैं।

21. यह कहना सही है कि प्रकरण में पुट ऑफ ड्यूटी किये जाने के संबंध में कारण उल्लेखित सहित निर्धारित प्रोफार्मा संलग्न नहीं हैं। यह कहना सही है कि

प्रदर्शपी 240 प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग सिविक सेन्टर भिलाई को प्रेषित पत्र में भी आरोपी द्वारा राशि गबन कराने के आधार पर पुट ऑफ किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 01 दिनांक 11.10.2021 को उपसंभागीय निरीक्षक बालोद के पत्र में आरोपी योगेश कुमार अपने कार्य से अनुपस्थित है इस कारण उसे दिनांक 08.10.2021 को पुट ऑफ किया गया था उल्लेख हैं। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी योगेश कुमार कोर्राम के द्वारा बचत खाते में जमा रकम को हिसाब में नहीं लेने एवं दुर्विनियोजन का प्रकरण ज्ञात होने पर एवं आरोपी कर्मचारी के उपस्थित होने पर उसे पुट ऑफ ड्यूटी किया गया।

22. यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 01 प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग सिविक सेन्टर भिलाई को प्रेषित पत्र में आरोपी द्वारा 116 खाताधारकों के जमा रकम 16,85,940/—रू. को आरोपी द्वारा गबन किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। साक्षी स्वतः कहा कि इस पत्र में खाता क्रमांक 4071146209 में 80,000/— रू. एवं बचत खाता क्रमांक 8390814382 में 23,300/— रू. के गबन का उल्लेख हैं साथ ही यह भी उल्लेख है कि जांच में और अधिक राशि मिलने की संभावना हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा खाता क्रमांक 4071146209 एवं बचत खाता क्रमांक 8390814382 की जांच नहीं की गई है। साक्षी अब कहता है कि इन खातों का रिकार्ड से जांच किया हूॅ।

23. यह कहना सही है कि उपरोक्त खाता क्रमांक 4071146209 एवं बचत खाता क्रमांक 8390814382 के खाताधारक से मैंने कोई पूछताछ या जांच नहीं किया हूॅ। यह कहना सही है कि घटना के समय शाखा डाकघर भैंसबोड़ में कौन कौन से व्यक्ति किस किस पद में पदस्थ थे इसके संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया हूॅ। साक्षी स्वतः कहता है कि आरोपी योगेश कुमार कोर्राम के अलावा अन्य कर्मचारियों की जानकारी नहीं दी गई थी। यह कहना सही है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो जब तक वह कार्यालय में जाकर ज्वाइनिंग नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति कार्यरत है कि नहीं इसके संबंध में नहीं बताया जा सकता। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी कर्मचारी योगेश कुमार कोर्राम की नियुक्ति पत्र में भारग्रहण की तारीख 25.10.

2014 ए.एन. उल्लेखित है।

24. यह कहना सही है कि आरोपी को दिनांक 25.10.2014 को पोस्ट ऑफिस में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र दिया गया था ऐसा कोई दस्तावेज या नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं हैं। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी 243 की छायाप्रति को देखकर मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है। यह कहना सही है कि प्रकरण में घटना के समय आरोपी शाखा डाकघर भैंसबोड़ में पदस्थ था उसके संबंध में उपस्थिति पंजी या कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं हैं। यह कहना गलत है कि घटना के समय आरोपी शाखा डाकघर भैंसबोड़ में पदस्थ नहीं था। यह कहना सही है कि अभियुक्त द्वारा शाखा डाकघर भैंसबोड़ में शाखा डाकपाल के पद पर पदस्थ है इसके संबंध में ज्वाइनिंग लेटर प्रस्तुत नहीं हैं।

25. यह कहना सही है कि शाखा डाकघर में डाकपाल एवं सहायक शाखा डाकपाल नियुक्त रहते हैं। यह कहना सही है कि घटना के समय शाखा डाकघर भैंसबोड़ में शाखा डाकपाल एवं सहायक शाखा डाकपाल के पद पर कौन व्यक्ति कार्यरत था इसके संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी शाखा डाकपाल के पद पर पदस्थ था तथा सहायक शाखा डाकपाल के पद पर कौन पदस्थ था यह मुझे याद नहीं हैं। मुझे आज याद नहीं हैं कि शाखा डाकघर भैंसबोड़ में सहायक शाखा डाकपाल के कितने–कितने पोस्ट थे। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 01 दिनांक 11.10.2021 के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन पंचनामा में सहायक शाखा डाकपाल कौशल कुमार ठाकुर का होना उल्लेखित है। यह कहना सही है कि उपरोक्त पंचनामा अनुसार पंचनामा में उल्लेखित समस्त रजिस्टर एवं सूची तथा नगद राशि एवं पंचनामा में उल्लेखित समस्त विवरण को सहायक शाखा डाकपाल कौशल कुमार ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

26. यह कहना सही है कि पंचनामा दिनांक 06.10.2021 में पंचनामा कार्यवाही किस व्यक्ति द्वारा किया गया है उल्लेख नहीं हैं। यह कहना सही है कि उक्त पंचनामा में कौन उपसंभागीय डाक निरीक्षक एवं कौन कर्मचारी उपस्थित था इसके संबंध में उल्लेख नहीं हैं। साक्षी स्वतः कहा कि पंचनामा गवाह में मेल

ओवरसीयर श्री पुनीत राम गावड़े का हस्ताक्षर हैं एवं इस पर उपसंभागीय अधिकारी श्री विकास सोनी के हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि पंचनामा दिनांक 06.10.2021 में शाखा डाकघर भैंसबोड़ के किसी भी खाताधारक का खाता या पासबुक मंगाकर जांच की हो ऐसा उल्लेख नहीं हैं।

प्रश्न– क्या सामान्यतः डाकघरों में खाताधारकों के खाता के संबंध में लेनदेन एजेन्टों के माध्यम से भी किया जाता है?

उत्तर– उपडाकघर एवं प्रधान डाकघर में डाकघर की चुनिंदा बचत स्कीम में एजेन्ट की सुविधा उपलब्ध है। शाखा डाकघरों में एजेन्ट के माध्यम से लेनदेन का प्रावधान नहीं हैं।

27. यह कहना सही है कि प्रकरण में दिनांक 06.10.2021 को शाखा डाकघर भैंसबोड़ के किसी भी खाताधारक को पूछताछ कर बयान नहीं लिया गया है। मैं आज नहीं बता सकता कि घटना के समय शाखा डाकघर भैंसबोड़ में कौन–कौन से गांव सम्मिलित थे। मुझे जानकारी नहीं हैं कि घटना के समय शाखा डाकघर भैंसबोड़ के अंतर्गत ग्राम भैंसबोड़, सुवरबोड़, दानीटोला एवं बनगांव चारों गांव सम्मिलित थे। साक्षी स्वतः कहता है कि ग्राम भैंसबोड़ के बारे में जानकारी हैं। यह कहना सही है कि पंचनामा में संलग्न अनुलग्नक V एवं VI दिनांक 06.10.2021 में उल्लेखित खाता संख्या के खाताधारकों का नाम पिता या पति का नाम तथा पता उल्लेखित नहीं हैं। यह कहना सही है कि पंचनामा दिनांक 06.10.2021 के अनुसार अभियुक्त द्वारा किसी भी राशि का गबन किये जाने के संबंध में कोई भी लेख नहीं हैं।

28. यह कहना गलत है कि प्रकरण में मेरे द्वारा कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध जांच कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 02 के ज्ञापन दिनांक 12.02.2022 में बचत खाता के खाता धारकों के पिता या पति का नाम तथा निवासी स्थान उल्लेख नहीं हैं। यह कहना सही है कि निवास स्थान तथा पिता या पति का नाम उल्लेखित नहीं होने पर नहीं बताया जा सकता कि खाताधारक कौन हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 02 का ज्ञापन प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग को शाखा डाकघर भैंसबोड़ के

लेखा कार्यालय बालोद में दुर्विनियोजन के संबंध में दिया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 02 के ज्ञापन अनुसार बचत खाता में कुल राशि 16,95,550/– रू. आवर्ती खाता में 64,395/– रू. तथा सुकन्या समृद्धि खाता में 78,800/– रू. कुल 18,38,745/– दुर्विनियोजन किये जाने के संबंध में उल्लेखित है।

29. यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 02 के ज्ञापन के अनुसार आरोपी द्वारा 16,85,940/– रू. गबन किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रकरण में खाताधारकों द्वारा खाते में रकम जमा करने के संबंध में जमा पर्ची पेश नहीं हैं। यह कहना गलत है कि बिना जमा पर्ची के नहीं बता सकते कि खाते में राशि जमा की गई हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा सहायक निदेशक (अन्वेषण) छ.ग. परिमंडल रायपुर को दिनांक 27.05.2022 को प्रदर्शपी 242 का ज्ञापन भेजा गया था। यह कहना सही है कि उपरोक्त ज्ञापन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध 16,85,940/– रू. के गबन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। यह कहना गलत है कि दिनांक 27.05.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध जांच कार्यवाही पूरी हो गई थी। साक्षी स्वतः कहा कि जांच कार्यवाही चल रही थी।

टीपः– न्यायालयीन समय समाप्त होने से साक्षी का प्रति–परीक्षण स्थगित किया गया।
<u>प्रति–परीक्षण स्थगन समय – 05.30 बजे</u>

गवाह को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(कु. माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(कु. माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–बालोद छ.ग.

गवाह का हस्ताक्षर